

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।

आज दिनांक- 10.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।




पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:- 10.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रान्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।



थाना अजनर व आबकारी की संयुक्त पुलिस टीम ने 40 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 09.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गई थाना अजनर व आबकारी की संयुक्त पुलिस टीम ने मुखविर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के कबूतरा डेरा ग्राम खोई के पास से 02 नफर अभियुक्तागण क्रमशः 1.रवीना पत्नी संदीप कबूतरा उम्र करीब 25 वर्ष 2. रागनी पत्नी सुसैन कबूतरा उम्र करीब 22 वर्ष निवासीगण कबूतरा डेरा ग्राम खोई थाना अजनर जनपद महोबा जिनके कब्जे से अलग-अलग 20 -20 लीटर कुल 40 लीटर अवैध देशी शराब व 50 ली0 लहन नाजायज के साथ बरामद किया गया। बरामदशुदा 50 ली0 लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तागण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 48/2025 व मु0अ0सं0 49/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

थाना अजनर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरीशंकर यादव
2. म0उ0नि0 मालती साहू
3. म0का0 प्रियंका गौतम

आबकारी पुलिस टीम-

1. आब0नि0 बृजेश कुमार मिश्रा कुलपहाड़ क्षेत्र -3 आबकारी कार्यालय महोबा
2. आब0 हे0का0 विक्रम सिंह
3. आब0 का0 अभिषेक
4. आब0 का0 प्रताप सिंह
5. आब0 म0का0 नेहा

गिरफ्तार अभियुक्तागण--

1. रवीना पत्नी संदीप कबूतरा उम्र करीब 25 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा ग्राम खोई थाना अजनर जनपद महोबा
2. रागनी पत्नी सुसैन कबूतरा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा ग्राम खोई थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी-

अभियुक्तागण के कब्जे से क्रमशः 20 -20 ली0 देशी शराब व 50 ली0 लहन नाजायज बरामद ।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात पुलिस टीम द्वारा चलाया जा रहा है विशेष चेकिंग एवं जागरूकता अभियान, की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में यातायात नियमों के प्रति जनजागरूकता का प्रचार-प्रसार किये जाने तथा सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लाये जाने के उद्देश्य से प्रभारी यातायात महोबा, श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपदीय यातायात पुलिस टीम द्वारा विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक- 09.03.2025 को जनपदीय यातायात पुलिस टीम द्वारा अभियान चलाकर जनपद में संचालित ऑटो, कूजर इत्यादि की सघन चेकिंग की गई, इस अभियान में ओवर लोड पाए गए वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस दौरान कुल 27 वाहनों को चेक किया गया तथा 09 वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बिठाये जाने को लेकर ओवर लोडिंग का चालान किया गया है सभी चालकों को हिदायत दी गयी है कि यातायात नियमों का पालन करें, जान जोखिम में डालकर यात्रा न करें। साथ ही यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में मुख्यालय महोबा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न चौराहों, तिराहों, बस स्टैंड पर आम जनमानस को यातायात नियमों के पालन का महत्व बताया जा रहा है ताकि जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।



जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा, वाहनों पर यातायात जागरुकता पम्पलेट चस्पा कर किया गया जागरुक..

आज दिनांक **10.03.2025** को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ढाबा आदि संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी।

पैदल गस्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुये यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन व चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गयी। इस दौरान यातायात जागरुकता पम्पलेट को वाहनों पर चस्पा कर यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया तथा यातायात नियमों का पालन किये/कराये जाने हेतु अपील की गयी।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन/अनुज्ञापियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **132 वाहनों के ई-चालान** कर **1,25,000/- रुपये** (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।



• **06 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 200 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, मौके पर 600 लीटर लहन किया गया नष्ट।**

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 10.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर पर संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीमों द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गयी जिसमें प्रथम टीम द्वारा ग्राम बिलरही से 04 नफर अभियुक्तगण को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से मौके पर चार प्लास्टिक की पिपियो में 20 - 20 ली0 कच्ची महुआ शराब (कुल 80 लीटर) नाजायज बरामद हुयी। तथा मौके पर ही 02 ड्रमों में भरा 400 किग्रा लहन महुआ नष्ट किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु.अ.सं. 48/25, 49/25, 50/25 व 51/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

इसी क्रम में गठित द्वितीय टीम द्वारा ग्राम सेलामाफ से 02 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से मौके पर 06 प्लास्टिक की पिपियो में 20 - 20 ली0 कच्ची महुआ शराब (कुल 120 लीटर) नाजायज बरामद करते हुये मौके पर ही एक प्लास्टिक के ड्रम में भरा 200 किग्रा लहन महुआ नष्ट किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु.अ.सं. 52/25 व 53/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना श्रीनगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब का निर्माण करने वालों के विरुद्ध की गयी बड़ी कार्यवाही- गिरफ्तार अभियुक्त-

1. श्रीचन्द्र कुशवाहा पुत्र प्रेमचन्द्र कुशवाहा उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. अरिमर्दन सिंह पुत्र गुलाब सिंह उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर जनपद महोबा
3. परी कबूतरा पत्नी शंकर कबूतरा उम्र 30 वर्ष निवासी किशोर गंज बिलरही थाना श्रीनगर जनपद महोबा हाल पता बिच्छू पहाड़िया महोबा थाना कोतवाली नगर महोबा
4. पायल कबूतरा पत्नी आयुष कबूतरा उम्र 28 वर्ष निवासी किशोर गंज बिलरही थाना श्रीनगर जनपद महोबा
5. मुस्कान कबूतरा पत्नी अक्षय उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सेलामाफ ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा
6. संगीता कबूतरा पत्नी पप्पू उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम सेलामाफ ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

1. उ०नि० दिनेश कुमार सिंह
 2. उ०नि० कन्हैयालाल पटेल
 3. का० राघवेन्द्र सिंह
 4. म०का० प्रियका यादव
1. उ०नि० संदीप विमल
 2. उ०नि० विजयशंकर पाण्डेय
 3. आरक्षी नितेश कुशवाहा

